Drishti IAS

अगस्त (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- बिहार में बिजली गिरने से मौत 3
- बिहार में अडानी सीमेंट का निवेश 3
- बांग्लादेश की स्थिति के कारण बिहार के ज़िलों में अलर्ट 4
- बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य 4
- पाँच प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग 4
- बिहार में मंदिर में भगदड़ 5
- वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन 6
- गया के ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मिला गुड़मार 6
- कोसी-मेची लिंक परियोजना 7
- NCPCR प्रमुख ने बिहार के मदरसों की संयुक्त राष्ट्र से जाँच कराने की मांग की 8
- बिहार में खरीफ फसलों का नष्ट होना 9
- वक्फ बोर्ड ने बिहार के एक गाँव पर दावा किया 10
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 10
- बिहार ने PMAY-G के तहत धनराशि का अनुरोध किया 11
- बिहार की पहली खेल अकादमी एवं विश्वविद्यालय 13

नोट :

बिहार

बिहार में बिजली गिरने से मौत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के अलग-अलग इलाकों में **बिजली गिरने** से कम-से-कम 12 लोगों की मौत हो गई। **मुख्यमंत्री ने इन मौतों पर अपनी संवेदना व्यक्त की** और **प्रत्येक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए** की **अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।**

- **अनुग्रहपूर्वक भुगतान** का अर्थ है किसी संगठन या सरकार द्वारा **दावों और क्षतियों के लिये व्यक्तियों को किया जाने वाला भुगतान।**

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और **आँधी-तूफान के दौरान घर पर रहने को कहा है।**
- उन्होंने नागरिकों को **राज्य आपदा प्रबंधन विभाग** द्वारा आँधी-तूफान और अत्यधिक वर्षा के संबंध में जारी की गई सलाह का पालन करने के लिये भी प्रोत्साहित किया है।
- **बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-2024** के अनुसार, राज्य में वर्ष 2022-23 में **बिजली और वज्रपात से संबंधित 400 मौतें हुईं** तथा सबसे ज़्यादा मौतें गया (46), भोजपुर (23) और नवादा (21) में हुईं।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में आपदा प्रबंधन के लिये 430 करोड़ रुपए आवंटित किये और इसमें से 285.22 करोड़ रुपए बिजली गिरने तथा डूबने जैसी स्थानीय आपदाओं के लिये खर्च किये गए।

बिजली चमकना

- यह "मेघ और ज़मीन के बीच या बादल के भीतर **बहुत कम अवधि तथा उच्च वोल्टेज के विद्युत निर्वहन**" की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके साथ एक चमकदार चमक, एक तेज़ आवाज़ एवं कभी-कभी आँधी भी आती है।
- **आकाशीय बिजली एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत घटना है** जो तब घटित होती है जब **बादलों के अंदर एवं बादलों तथा ज़मीन के बीच विद्युत आवेश का निर्माण होता है।**

बिहार में अडानी सीमेंट का निवेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बिहार के मुख्यमंत्री** ने **बिहार के नवादा ज़िले** के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की **अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (Ambuja Cement Limited- ACL)** की सहायक कंपनी **अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड** की **1,600 करोड़ रुपए** की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की **आधारशिला रखी।**

मुख्य बिंदु

- **6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) की परियोजना** को चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका पहला चरण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इससे 250 प्रत्यक्ष नौकरियाँ और 1,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित होंगी।
  - सीमेंट इकाई से सरकार को वार्षिक आधार पर **250 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने** का अनुमान है।
  - **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण** ने सीमेंट इकाई की स्थापना के लिये 73 एकड़ भूमि आवंटित की है।
- अडानी समूह ने बिहार में **मुज़फ्फरपुर के मोतीपुर में एक नए सीमेंट संयंत्र,** पटना के पास एक लॉजिस्टिक गोदाम और अररिया, किशनगंज तथा बेगूसराय में कृषि लॉजिस्टिक गोदामों के लिये **5,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का भी प्रस्ताव दिया है।**

नोट :

बांग्लादेश की स्थिति के कारण बिहार के ज़िलों में अलर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति के मद्देनज़र बिहार के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया था।

मुख्य बिंदु

- बिहार का कोई भी ज़िला बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, राज्य **नेपाल के साथ** एक लंबी और छिद्रपूर्ण **सीमा** साझा करता है।
  - इस सीमा का **उपयोग** अक्सर अन्य देशों के **घुसपैठियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश** करने के लिये किया जाता है।
- नौकरी में आरक्षण को लेकर सड़कों पर हुए **बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश अनिश्चितता की स्थिति में आ गया, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा।**

बांग्लादेश की स्थिति

- बांग्लादेश में **एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल** मची हुई है। व्यापक विरोध और अशांति के बीच **प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है तथा देश छोड़ दिया।**
- **जनरल वकर-उज़-ज़मान** के नेतृत्व में बांग्लादेशी सेना ने राजनीतिक दलों के समर्थन से एक **अंतरिम सरकार के गठन** की घोषणा की है
- यह घटनाक्रम बांग्लादेश के **राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसने प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के 15 वर्ष के कार्यकाल को समाप्त** कर दिया है और देश के भविष्य की स्थिरता तथा शासन के बारे में सवाल खड़े कर दिये हैं।

बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बिहार सरकार** ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि **अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण हो** तथा उनकी अचल संपत्ति का ब्योरा **बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT)** को प्रस्तुत किया जाए।

मुख्य बिंदु

- **बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950** के अनुसार, सभी **सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं** को **BSBRT** के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
  - **राज्य सरकार** पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ **BSBRT** में पंजीकरण न कराने वाली **अपंजीकृत संस्थाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगी।**
- **BSBRT** के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग **2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं,** जिनके **पास 4,321.64 एकड़ भूमि है।**
  - राज्य में लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।

पाँच प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग

चर्चा में क्यों ?

बिहार राज्य कृषि विभाग, भागलपुर स्थित **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (Bihar Agricultural University- BAU)** के साथ मिलकर कम-से-कम 54 अलग-अलग क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के लिये **भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI)** प्रमाणन प्राप्त करने के लिये काम कर रहा है

नोट :

- इस सहयोगात्मक प्रयास के तहत **पाँच प्रमुख विषयों** पर अनुसंधान पहले ही उन्नत चरणों में है।

प्रमुख बिंदु:

- पाँच उन्नत चरण के उत्पाद हैं- **लिट्टी चोखा (बिहार का मुख्य व्यंजन), रोहतास से सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना से सिंघाड़ा तथा दीघा से मालदा आम।**
- सबसे अधिक **भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल हैं।**
  - बिहार में **छह GI-टैग उत्पाद हैं** - **शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मारीचा चावल, मगही पान (पान का पत्ता) और मखाना (फॉक्सनट)।**
- केंद्र सरकार का वाणिज्य मंत्रालय **विश्व व्यापार संगठन** के सदस्य के रूप में भारत की प्रतिबद्धताओं और **TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) समझौते** के तहत भौगोलिक संकेत (GI) टैग के लिये अभियान का समर्थन कर रहा है।

भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) टैग

- **GI** टैग एक **नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों** पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं।
- **GI** टैग यह सुनिश्चित करता है कि **केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग** ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति रखते हैं।
  - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल किये जाने से भी बचाता है।
- पंजीकृत **GI 10 वर्षों के लिये वैध होता है।**
- **GI** पंजीकरण की देख-रेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा की जाती है।

बिहार में मंदिर में भगदड़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के **जहानाबाद ज़िले** में स्थित मखदुमपुर स्थित **बाबा सिद्धनाथ मंदिर** में **भगदड़** मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई।

मुख्य बिंदु:

- यह घटना कथित तौर पर **मंदिर के प्रवेश द्वार के पास काँवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच विवाद के कारण** हुई।
- स्थानीय अधिकारी घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं तथा **पीड़ितों के परिवारों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।**

भगदड़

- **परिचय:**
  - भगदड़, भीड़ का एक **आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन** है जिसके परिणामस्वरूप लोग प्राय: घायल होते हैं और उनकी मृत्यु होती हैं।
  - यह **प्राय: किसी खतरे की आशंका,** भौतिक स्थान की हानि तथा किसी संतुष्टिदायक वस्तु को प्राप्त करने की **सामूहिक इच्छा** के कारण उत्पन्न होती है।
- **प्रकार:**
  - **भगदड़ के दो मुख्य प्रकार हैं:** एकदिशात्मक भगदड़ तब होती है जब एक ही दिशा में चलती भीड़ को अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, जो अचानक रुकने जैसी शक्तियों अथवा टूटे हुए अवरोधों जैसी नकारात्मक शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है।
  - **अशांत भगदड़** तब होती है जब भीड़ अनियंत्रित हो और विभिन्न दिशाओं से भीड़ आ जाए।
- **भगदड़ में मृत्यु:**
  - **अभिघातजन्य श्वासावरोध: यह सबसे आम कारण है** जो **वक्ष या ऊपरी पेट के बाहरी दबाव** के कारण होता है। यह 6-7 लोगों की मध्यम भीड़ में भी हो सकता है जो एक दिशा में धक्का दे रहे हों।

नोट :

- **अन्य कारण:** मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (दिल का दौरा), आंतरिक अंगों को प्रत्यक्ष रूप से दमित करने वाली चोटें, सिर की चोटें और गर्दन का संपीड़न।
- भगदड़ के कारण निम्नलिखित प्रकार से मृत्यु हो सकती है:

वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन

चर्चा में क्यों ?

बिहार सरकार **सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड** के **तहत पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने** के लिये **बहुउद्देशीय भवन**, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ष 2023-24** में **पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान** में बहुउद्देश्यीय भवनों, बाज़ार परिसरों तथा पुस्तकालयों के निर्माण के लिये **दस परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई थीं।**
- **बिहार राज्य मदरसा सुधारीकरण योजना (BRMSY)** के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।
  - मदरसा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये **पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय और कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला** जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

वक्फ बोर्ड (Waqf Board)

- वक्फ बोर्ड **एक कानूनी इकाई** है जो **संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह मुकदमा करने एवं न्यायालय में मुकदमा किये जाने दोनों में सक्षम है।**
- यह वक्फ संपत्तियों का **प्रबंधन** करता है, खोई हुई संपत्तियों को **वापस प्राप्त** करता है और बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज़, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंज़ूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम-से-कम दो तिहाई सदस्य लेन-देन के पक्ष में मतदान करते हैं
- **वर्ष 1964** में स्थापित **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देख-रेख के साथ ही सलाह भी देती है।
- **वक्फ संपत्तियाँ:** वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद **तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक** कहा जाता है।
  - वर्तमान में 8 लाख एकड़ में विस्तृत 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।
  - एक बार जब किसी संपत्ति को **वक्फ घोषित** कर दिया जाता है तो वह **अहस्तांतरणीय** हो जाती है और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में **स्थायी रूप से सुरक्षित** रहती है, जो अनिवार्य रूप से ईश्वर को स्वामित्व हस्तांतरित कर देती है।

गया के ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मिला गुड़मार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने बिहार के गया में **ब्रह्मयोनि पहाड़ी** पर औषधीय पौधों की एक शृंखला की खोज़ की, जिसमें **जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे (आमतौर पर गुड़मार के रूप में जाना जाता है)** एक उल्लेखनीय खोज़ है जिसे मधुमेह **रोधी जड़ी बूटी** के रूप में जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

- **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** ने पहले ही **मधुमेह रोधी दवा BGR-34** विकसित करने में इस औषधीय जड़ी-बूटी का उपयोग किया है।

नोट :

- गुड़मार में **जिम्नेमिक एसिड (Gymnemic Acid)** की उपस्थिति के कारण यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की विशेष क्षमता रखता है। यह आँत की बाहरी परत में रिसेप्टर साइटों पर प्रभाव डालकर कार्य करता है, जिससे **मिठास की इच्छा पर नियंत्रण** पाया जा सकता है।
  - परिणामस्वरूप आँत कम शर्करा अणुओं को अवशोषित करती है, जिसके कारण रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है।
  - इसके अलावा इस पौधे में फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन्स होते हैं, जो लिपिड चयापचय को विनियमित करने में सहायता करते हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- **CSIR** भारत में सबसे बड़ा **अनुसंधान और विकास (R&D)** संगठन है। **CSIR अखिल भारतीय स्तर का संगठन** है और इसका 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और 5 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है।
- **स्थापना:** सितंबर 1942
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- CSIR को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के माध्यम से एक **स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।**
- CSIR विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है - रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधि, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, उपकरण, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी तक।
  - यह **सामाजिक प्रयासों** से संबंधित कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण **तकनीकी हस्तक्षेप** प्रदान करता है जिसमें **पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा तथा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र** शामिल हैं।

कोसी-मेची लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों ?

बिहार में **कोसी-मेची लिंक परियोजना** का उद्देश्य **कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है।** यह पहल **जल संसाधनों के प्रबंधन** और क्षेत्र में **सिंचाई** की एक बृहत् परियोजना का हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु:

- **निधि आवंटन:** हाल के **बजट सत्र** में केंद्र ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण में सहायता के लिये **11,500 करोड़ रुपए के आवंटन** की घोषणा की।
- **सिंचाई:** इस परियोजना का उद्देश्य **खरीफ सीज़न के दौरान महानंदा नदी बेसिन में 215,000 हेक्टेयर कृषि भूमि** को सिंचाई सहायता प्रदान करना है।
- **बाढ़ नियंत्रण:** यद्यपि इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण संबंधी कुछ लाभ प्रदान करने की क्षमता है, फिर भी प्राथमिक उद्देश्य **सिंचाई में सुधार** पर ही रहेगा।
- **स्थानीय विरोध:**
  - **विरोध:** इस परियोजना का स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हुआ है। किसानों और निवासियों ने चिंता जताई है कि यह परियोजना **बाढ़ नियंत्रण के मुद्दों** को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकती है और इससे स्थानीय **जल संसाधन बाधित** हो सकते हैं।
  - **मूल समाधान की मांग:** प्रदर्शनकारी केवल नदियों को जोड़ने पर निर्भर रहने के बजाय **व्यापक बाढ़ प्रबंधन समाधान** पर ध्यान केंद्रित करने की मांग कर रहे हैं।
- **पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएँ:**
  - **पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** नदियों को जोड़ने के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव इस संबंध में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जिनमें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता परिवर्तन शामिल है।

नोट :

- **विस्थापन और आजीविका:** समुदायों के विस्थापन और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी चिंताएँ।

- **सरकारी प्रतिक्रिया:** सरकार इस परियोजना का बचाव कर रही है, सिंचाई के लिये इसके लाभों और क्षेत्र के लिये संभावित आर्थिक लाभ पर ज़ोर दे रही है। हालाँकि, स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के लिये संवाद जारी है।

NCPCR प्रमुख ने बिहार के मदरसों की संयुक्त राष्ट्र से जाँच कराने की मांग की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** के चेयरमैन ने बिहार के सरकारी वित्त पोषित मदरसों में **"अतिवादी" पाठ्यक्रम और इन स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन पर गंभीर चिंता जताई।**

मुख्य बिंदु

- चेयरमैन ने मदरसों के लिये इस **पाठ्यक्रम को विकसित करने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की भूमिका की आलोचना** की
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जाँच करने का भी आह्वान किया और **मदरसा बोर्ड को भंग करने का आग्रह** किया
- इन मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल **कई किताबें पाकिस्तान में प्रकाशित हुई** हैं और उनकी **सामग्री पर शोध जारी** है।
- **शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के दायरे से बाहर की गतिविधियों के लिये धन का उपयोग भारतीय संविधान और **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन (UNCRC)** दोनों का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR):

- NCPCR **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।**
- यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में निर्मित सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप हों।
- यह **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत एक बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह **यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधिनियम, 2012** के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन
- यह **1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि** है।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चा मानता है।
- यह प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या योग्यता कुछ भी हो।
  - इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण सहित मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं।
- यह वैश्विक रूप से सबसे व्यापक अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि है।

नोट :

बिहार में खरीफ फसलों का नष्ट होना

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तरी बिहार के किसानों** को **अप्रत्याशित बाढ़** के कारण **गंभीर फसल क्षति** का सामना करना पड़ रहा है, जिससे **धान और सब्ज़ियों सहित** हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- **मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी और भागलपुर** जैसे ज़िलों के सैकड़ों गाँवों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है।
  - **कोसी और गंगा नदियों** के साथ-साथ **बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों** में बढ़ते जल स्तर के कारण भारी बाढ़ आई है एवं फसलों को नुकसान पहुँचा है।
- **बाढ़ के कारण कई लोग विस्थापित हो गए हैं** तथा उन्हें आस-पास के बाज़ारों और कार्यालयों से कटे हुए अलग-थलग गाँवों में रहने के लिये मजबूर होना पड़ा है।
  - इसके अतिरिक्त **पशुओं के लिये हरे और सूखे चारे की भी कमी हो गई**, जिससे प्रभावित समुदायों की कठिनाइयाँ और बढ़ गईं।
- व्यापक विनाश के बावजूद **बिहार आपदा प्रबंधन विभाग** की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई।
  - बिहार में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है, इससे प्रतिवर्ष हज़ारों लोग विशेषकर **गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदी घाटियों** में, प्रभावित होते हैं, ।
- **बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़-प्रवण राज्य है**, राज्य के कुल 9.41 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 6.88 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र **बाढ़ के प्रति संवेदनशील माना** जाता है।

बाढ़

- यह **पानी का उस ज़मीन पर बह जाना है जो आमतौर पर सूखी होती है।** बाढ़ अधिक वर्षा के दौरान, जब समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं, जब बर्फ तेज़ी से पिघलती है या जब बाँध या तटबंध टूट जाते हैं, तब आ सकती है।
- विनाशकारी बाढ़ केवल कुछ इंच पानी से भी आ सकती है या यह घर की छत तक को भी ढक सकती है। **बाढ़ कुछ ही मिनटों में या लंबे समय में आ सकती है और कई दिनों, सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक चल सकती है।** बाढ़ सभी **मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे आम और व्यापक है।**
- **फ्लैश फ्लड** सबसे **खतरनाक प्रकार की बाढ़** होती है, **क्योंकि इसमें बाढ़ की विनाशकारी शक्ति के साथ अविश्वसनीय गति भी शामिल होती है।**
  - फ्लैश फ्लड तब आती है **जब अधिक वर्षा भूमि की उसे सोखने की क्षमता से अधिक हो जाती है।**
  - वे तब भी होती हैं **जब सामान्यत: सूखी खाड़ियों या धाराओं में पानी भर जाता है या इतना पानी जमा हो जाता है कि धाराएँ अपने किनारों को पार कर जाती हैं**, जिससे थोड़े समय में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ जाता है।
  - ये घटनाएँ वर्षा के कुछ ही मिनटों के भीतर घटित हो सकती हैं, जिससे जनता को चेतावनी देने और उनकी सुरक्षा के लिये उपलब्ध समय सीमित हो जाता है।

नोट :

वक्फ बोर्ड ने बिहार के एक गाँव पर दावा किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बिहार वक्फ बोर्ड** ने **गोविंदपुर गाँव के ग्रामीणों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर ज़मीन खाली** करने को कहा है।

मुख्य बिंदु

- ये नोटिस मिलने के बाद सभी **भूस्वामियों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर** की।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि **यह भूमि वर्ष 1910 से याचिकाकर्त्ताओं के वंशजों के नाम पर है।**
  - अगस्त 2024 में संसद में **वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024** भी प्रस्तुत किया गया।

वक्फ बोर्ड

- वक्फ बोर्ड **एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित** करने में सक्षम है। **यह न्यायालय में मुकदमा कर सकता है तथा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।**
- यह **वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है** और बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंज़ूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य लेन-देन के पक्ष में मतदान करते हैं
- **वर्ष 1964** में स्थापित **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देख-रेख और सलाह देती है।
- वक्फ बोर्ड को **भारत** में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद **तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक** कहा जाता है।

वक्फ अधिनियम (संशोधन विधेयक), 2024 में प्रमुख संशोधन

- **पारदर्शिता:** विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये वक्फ बोर्डों को सभी **संपत्ति दावों हेतु अनिवार्य सत्यापन से गुज़रना होगा**
- **लिंग विविधता: वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 और 14** में संशोधन किया जाएगा ताकि वक्फ **बोर्ड की संरचना एवं कार्यप्रणाली** को संशोधित किया जा सके, जिसमें **महिला प्रतिनिधियों** को शामिल करना भी शामिल है।
- **संशोधित सत्यापन प्रक्रियाएँ: विवादों को सुलझाने और दुरुपयोग को रोकने** के लिये वक्फ संपत्तियों के लिये नई सत्यापन प्रक्रियाएँ शुरू की जाएंगी तथा ज़िला मजिस्ट्रेट संभवत: इन संपत्तियों की देख-रेख करेंगे।
- **सीमित शक्ति:** ये संशोधन **वक्फ बोर्डों (Waqf Boards) की अनियंत्रित शक्तियों के बारे में चिंताओं** का जवाब देते हैं, जिसके कारण व्यापक भूमि पर वक्फ का दावा किया जा रहा है, जिससे विवाद और दुरुपयोग के दावे हो रहे हैं।
- उदाहरण के लिये **सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गाँव पर दावा किया,** जो मुख्य रूप से हिंदू बहुल है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2024 के लिये बिहार के दो शिक्षकों** का चयन किया है।

मुख्य बिंदु

- चयनित शिक्षकों में शामिल हैं: **सिकेंद्र कुमार सुमन**, जो काइमूर ज़िले के तरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और **डॉ. मीना कुमारी**, जो मधुबनी ज़िले के शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षिका हैं।
- उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में **शिक्षक दिवस** पर **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित** किया जाएगा।

नोट :

- यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये शिक्षकों को दिया जाता है। उन्हें **50,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति-पत्र** दिया जाएगा।
- इस **प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये** देश भर से कुल **50 शिक्षकों का चयन किया गया है।**

शिक्षक दिवस

- वर्ष 1962 से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस **भारत में शिक्षकों, शोधकर्त्ताओं और प्रोफेसरों सहित शिक्षाविदों के योगदान का सम्मान करता है।**
  - उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों के आग्रह पर उनके **जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में** मनाने का प्रस्ताव रखा।
- **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में:**
  - **जन्म:**
    - उनका जन्म **5 सितंबर, 1888** को तमिलनाडु के तिरुत्तनी शहर में एक तेलुगू परिवार में हुआ था।
  - **शिक्षा:**
    - उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया और बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज तथा मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने।
  - **रोज़गार:**
    - उन्होंने वर्ष 1952 से 1962 तक **भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति** और वर्ष 1962 से 1967 तक **भारत के दूसरे राष्ट्रपति** के रूप में कार्य किया।
    - वे वर्ष 1949 से 1952 तक **सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे तथा वर्ष 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति रहे।**
  - **उपलब्धि:**
    - वर्ष 1984 में उन्हें मरणोपरांत (मृत्यु के बाद) **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया।
  - **उल्लेखनीय कार्य:**
    - समकालीन दर्शन में धर्म का शासन (Reign of Religion in Contemporary Philosophy), रवीन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन (The Philosophy of Rabindranath Tagore), जीवन का हिंदू दृष्टिकोण (The Hindu View of Life), कल्कि या सभ्यता का भविष्य (Kalki or the Future of Civilisation), जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण (An Idealist View of Life), जिस धर्म की हमें आवश्यकता है (The Religion We Need), भारत और चीन (India and China) तथा गौतम बुद्ध (Gautama the Buddha)

बिहार ने PMAY-G के तहत धनराशि का अनुरोध किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **बिहार के ग्रामीण विकास विभाग (RDD)** ने **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)** के तहत बेघर परिवारों के लिये 13.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंज़ूरी देने के लिये **ग्रामीण विकास मंत्रालय** को एक नया अनुरोध भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- RDD ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान PMAY-G के तहत स्वीकृत कुल 37 लाख इकाइयों में से 36.64 लाख आवास इकाइयों का निर्माण किया है।
- **PMAY-G के तहत प्रत्येक लाभार्थी को ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** के तहत दरों के अनुसार **श्रम लागत के साथ** एक आवास इकाई के लिये **1.30 लाख रुपये मिलते हैं।**

नोट :

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- **लॉन्च:**
  - वर्ष **2022 तक "सभी के लिये आवास"** के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना **इंदिरा आवास योजना (IAY)** को 1 अप्रैल, 2016 से **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)** में पुनर्गठित किया गया था।
  - हालाँकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और **अगस्त 2022** में **"सभी के लिये आवास"** सुनिश्चित करने की समय सीमा **दिसंबर 2024 तक** बढ़ा दी।
- **संबंधित मंत्रालय:**
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **स्थिति:**
  - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने **लाभार्थियों के लिये 2.85 करोड़ मकान स्वीकृत किये हैं** और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं।
- **उद्देश्य:**
  - मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
  - **गरीबी रेखा से नीचे (BPL)** ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे घरों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता करके सहायता करना।
- **लाभार्थी:**
  - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति**, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ या उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और **अल्पसंख्यक**।
- **लाभार्थियों का चयन:**
  - तीन-चरणीय सत्यापन जैसे **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011**, **ग्राम सभा** और **जियो-टैगिंग** के माध्यम से।
- **लागत का बँटवारा:**
  - मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं, तथा **पूर्वोत्तर राज्यों**, दो हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में **90:10** के अनुपात में व्यय साझा करते हैं।
  - **केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100%** लागत वहन करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

- **परिचय:**
  - मनरेगा **ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है।**
  - यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये तैयार रहने पर सौ दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
  - **सक्रिय कर्मचारी:** 14.32 करोड़ (2023-24)
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **मनरेगा के रूपरेखा (डिज़ाइन) की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है**, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क **काम का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिये।**
    - यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है तो **"बेरोज़गारी भत्ता"** प्रदान किया जाता है।

नोट :

- इसमें महिलाओं को इस तरह प्राथमिकतादी जाती है कि लाभार्थियों में से कम-से-कम एक तिहाई महिलाएँ हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिये अनुरोध किया हो।
- मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित **सभी कार्यों का सामाजिक लेखा-परीक्षण** अनिवार्य किया गया है।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - भारत सरकार का **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD)** राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

बिहार की पहली खेल अकादमी एवं विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय खेल दिवस** के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली **खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय** का उद्घाटन किया, जो **राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर** का एक हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

- **अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर** में **एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण** दिया जाएगा।
  - खिलाड़ियों को एक ही परिसर में **प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा सुविधाओं** सहित सभी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी
  - परिसर में एक **मुख्य क्रिकेट स्टेडियम** के साथ-साथ **आठ छोटे स्टेडियम, एक विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय और विभिन्न खेलों के लिये प्रशिक्षण केंद्र** शामिल हैं
  - मुख्य स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि छोटे स्टेडियमों में 10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी।
    - इसमें **एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और कई अन्य खेलों** के लिये सुविधाएँ शामिल हैं।
- सूत्रों के अनुसार राजगीर **नवंबर में छह देशों की एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप** की मेज़बानी करेगा
- राज्य सरकार ने **जुलाई, 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय** की स्थापना को मंज़ूरी दी।
  - इस विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य बिहार राज्य में **व्यायाम शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेल शिक्षा** को बढ़ावा देना है
  - विश्वविद्यालय को **खेलों के लिये एक उच्च-स्तरीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र** के रूप में कार्य करने के लिये तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय खेल दिवस

- **परिचय:**
  - इस दिन को पहली बार वर्ष **2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित और मनाया गया था**
  - राष्ट्र अपने **खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए** इस दिन को मनाता है
  - इस अवसर पर राष्ट्रपति **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार** जैसे खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं।
- **महत्त्व:**
  - राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य **खेलों के महत्त्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है**
  - भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम, आयोजन, सेमिनार आदि आयोजित करती है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :